तथा ब्याज की राशि को वापस करने की व्यवस्था करने का विचार रखता है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कुछेक मामलों में कम्प्यूटर में अपूर्ण आँकड़े भरने के परिणामस्वरूप गलतियां रह गई थीं।

(ग) इन मामलों में संशोधित मांगपत्र जारी किए गए हैं और भुगतान करने के लिए 15 दिन का और समय दिया गया है। मूल मांग पत्र में उल्लिखित तारीख तक भुगतान न करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना/ब्याज नहीं लिया जाएगा।

SHIFTING OF LPG GODOWNS FROM THICKLY POPULATED AREAS OF DELHI

2812. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large-scale LPG godowns are located in the thickly populated areas of Delhi;

(b) whether any Committee had recommended the shifting of such godowns to the far-flung areas to minimise the risks of fire; and

(c) if so, what action has been taken so far in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) According to survey conducted by the Fire Department in 1986, 16 Gas godowns are located in thickly populated areas. A Committee appointed to re-inspect these 16 sites had found only 4 of the godowns hazardous, located in the congested localities. Alternative sites for three of the units have been offered and action to finalise suitable alternative site for the 4th is being taken.

प्रापर्टी डीलरों की गतिविधियां

2813. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अप्राधिकृत प्रापर्टी डीलर तथा दलाल दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए गांव नांगलोई, करारी, जफरपुर कलां और नजफगढ़ के निकट प्रेम नगर में पिछले तीन वर्षों से दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम की जमीन प्लाट बेच रहे हैं/बुक कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, जिन्होंने इस प्रकार की सरकारी जमीन को खरीदा है तथा प्लाट बुक कराए हैं ; और

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त भाग (क) से (ग) में उल्लिखित ऐसे प्रापर्टी डीलरों तथा दलालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है, जिन्होंने प्लाट बेचे या बुक किए हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह कार्यवाही कब तक आरम्भ कर दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क), (ख) और (घ) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (समय-समय पर संशोधित) का उल्लंघन करने के लिए कथित प्रापर्टी डीलरों का कोई रिकार्ड दिल्ली नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए 1985-86 के दौरान उनके द्वारा कई मामलों में अभियोजन आरम्भ किए गए हैं। नांगलोई, नजफगढ़, जफरपुर कलां क्षेत्र के अभी योजन के लिए कुछ और मामले उनके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।